फोन : 0135–2621669 फैक्स : 0135–2620933, E-mail-director.rajaji@gmail.com

कार्यालय–उप निदेशक/उप वन संरक्षक
राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड,
5/1 अंसारी मार्ग, देहरादून–248001

पत्रांक 350/12–1 देहरादून, दिनांक 09 मार्च, 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
दुगड्डा(गढ़वाल)।

विषयः– **जनपद–पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला किमी0 07 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई–12.050किमी0) के नव निर्माण हेतु 4.702 है0 (पूर्व में 7.465है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् पी0एम0जी0एस0वाई0 दुगड्डा को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून का पत्रांक– 2284 / FP/UK/ROAD/41674/2019 दिनांक 04 मार्च, 2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो आपको एंव इस कार्यालय को सम्बोधित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में उक्त सन्दर्भित पत्र एंव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या– 08बी/ यू0सी0पी0 /06/154/2020/एफ0सी0/2362, दिनांक 25–02–2021 के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार के उक्त पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी/ पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है:–

शर्त संख्या–3–प्रतिपूरक वनीकरणः

1. **(क)** के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.404 है0 अवनत वन भूमि कुडोग–22, रिखनाड़ रेंज, चकराता वन प्रभाग, कालसी पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाय।

   (ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

2. **शर्त संख्या 4**– प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एंव सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किया जा सकते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण एंव 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित रू0 31,70,,878.00 की धनराशि जमा करनी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड़, देहरादून के आदेश पत्रांक संख्या–क–972/3–5–2(II) दिनांक 21, नवम्बर, 2017 के अनुसार किया गया है।

वसूली वर्ष 2021–22 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि का विवरणः–

सी0ए0 हेतु दुगनी अवनत वन भूमि कुडोग–22, रिखनाड़ रेंज,	–4.702 X 2 = 9.404 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दर प्रति है0–	3,37,184.00 प्रति है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि–	9.404X3,37,184.00=31,70,,878.33
	या 31,70,,878.00

Scanned with CamScanner

3. **शर्त संख्या–5 शुद्ध वर्तमान मूल्य** – के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.702 है0 हेतु @ 4,38,000.00 प्रति है0 की दर से 10 गुनी मु0 2,05,94,760.00 की धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

(क) "प्रमाणित किया जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.085.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एंव 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत् 4.702 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की देयता निम्नानुसार है:–

ईको–क्लास श्रेणी – IV (मिश्रित वन)
हरियाली का घनत्व – 0.10
एन0पी0वी0 की दर प्रति है0– मु0 4,38,000/–प्रति है0
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 4.702 है0
एन0पी0वी0 की कुल देय धनराशि–4.702है0 X 4,38,000.00 X 10 = 2,05,94,760.00
(दो करोड़ पॉच लाख चौरानब्बे हजार सात सौ साठ रूपये मात्र)

(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयेक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।

4. **शर्त संख्या –6 –** प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई का न्यूनतम रखेगा एंव प्रस्ताव के अनुसार 183 वृक्ष एंव 22 सेम्पलिंग से अधिक नहीं होगी एंव पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
5. **शर्त संख्या –7 –** परियोजना के तहत् प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पार्टल (https//parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किये जायेगे।
6. **शर्त संख्या –8 –** गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिऐ पारित किये गये आदेश की प्रति सक्षम कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।
7. **शर्त संख्या –9 –**एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
8. **शर्त संख्या –10 –** प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
9. **शर्त संख्या –11 –**प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगे।
10. **शर्त संख्या–12–** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
11. **शर्त संख्या–13** – केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आऊट प्लान नहीं बदला जायेगा।
13. **शर्त संख्या–14** – प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि एंव आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14. **शर्त संख्या–15** – प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी, विशेंषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
15. **शर्त संख्या–16 –** प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उप निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियेाजना लागत पर भूमि पर आर.सी.सी.पिलरों द्वारा सीमांकन किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

16. **शर्त संख्या–17** – प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिऐ वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
17. **शर्त संख्या–18** – वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
18. **शर्त संख्या –19** – केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
19. **शर्त संख्या –20** – इनमें से किसी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंधन होगा एंव पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
20. **शर्त संख्या–21** – पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।
21. **शर्त संख्या–22** – प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुनर्जीवीत करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थितिकरण एंव सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षे में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
22. **शर्त संख्या–23** – यदि कोई अन्य सम्बधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
23. **शर्त संख्या–24** – प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परिपूर्ण अनुपालना आख्या ई–पोर्टल (https:// parivesh. Nic.in) पर अपलोड की जायेगी।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना आख्या को ऑनलाईन अपलोड कर संगत दस्तावेज /अनुपालना आख्या की 04 प्रतियां इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त सभी शर्तों की अनुपालना के पश्चात् ही भारत सरकार के पत्रांक 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 एंव उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक–1671/X–3–20/1(174)/2020 दिनांक 19–11–2020 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(पुनीत तोमर, भा.व.से.)
उप निदेशक/उप वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक 350/12-1 **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि – निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कलोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
2. निदेशक /वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड़,।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी को उक्त सन्दर्भित पत्र एंव भारत सरकार के पत्र संख्या– 08बी/ यू0सी0पी0 /06/154/2020/एफ0सी0/2362, दिनांक 25–02–2021 (प्रति संलग्न) इस आशय से प्रेषित की शर्त संख्या 3 व 4 की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाईगर रिजर्व।
5. वन क्षेत्राधिकारी, गौहरी रेंज को इस निर्देश के साथ कि उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जाय, यह सुनिश्चित कर लें।

संलग्न–उक्तानुसार।

(पुनीत तोमर, भा.व.से.)
उप निदेशक/उप वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

Scanned with CamScanner